वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

भाग I – कार्यनिष्पादन की समीक्षा

अ. भूमिका

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की शेयर पूंजी से क्षेत्र आधारित और ग्रामीण उन्मुख संस्थाओं के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, लघु उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास के लिए छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों, जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऋण देने के लिए पेशेवर रूप से प्रबंधित वैकल्पिक चैनल के रूप में कार्य करना था. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे संसाधनों का संग्रहण कर उनका स्थानीय स्तर पर अभिनियोजन करें. इस तरह से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षेग्रा) बैंकों की समीक्षा' दो भागों में बांटी गई है, अर्थात भाग-I क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय निष्पादन की समीक्षा, और भाग II-नीतिगत पहलें और विकास.

आ. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन

क्षेग्रा बैंकों के प्रमुख निष्पादन संकेतकों की तुलनात्मक स्थिति अनुबंध-**1** में दी गई है

1. कृषि के लिए एजेंसी-वार ऋण प्रवाह

पिछले 4 वर्षों के दौरान सभी एजेंसियों द्वारा कृषि हेतु प्रदत्त कुल ऋण प्रवाह का एजेंसी-वार विवरण नीचे दिया गया है. तालिका I से यह देखा जा सकता है कि आधारस्तरीय ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा वर्ष 2020-21 में 12.1% रहा.

तालिका I: विभिन्न एजेंसियों का आधार स्तरीय ऋण प्रवाह

(₹ करोड़)

एजेंसी	जीएलसी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सहकारी समितियां	राशि	1,50,321	1,52,340	1,57,367	1,90,682
	% हिस्सा	12.9	12.1	11.3	12.1
क्षेग्रा बैंक	राशि	1,41,216	1,49,667	1,65,326	1,90,012
	% हिस्सा	12.1	11.9	11.9	12.1
वाणिज्य बैंक	राशि	8,71,080	9,54,823	10,70,036	11,94,704
	% हिस्सा	74.9	76.0	76.8	75.8
कुल		**11,62,617**	**12,56,830**	**1,392,729**	**15,75,398**

2. **कुल कृषि ऋण प्रवाह -लक्ष्य और उपलब्धि**

वर्ष 2020-21 के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने आधार स्तरीय ऋण प्रवाह के अपने लक्ष्य का 99% प्राप्त किया है. पिछले 4 वर्षों में आधार स्तरीय ऋण के अंतर्गत लक्ष्य के समक्ष उपलब्धि तालिका II में दी गई है.

तालिका II: **कुल कृषि ऋण प्रवाह: क्षेग्रा बैंकों के लक्ष्य और उपलब्धि**

(₹ करोड़)

वर्ष	फसल ऋण			सावधि ऋण			जोड़		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %
2020-21	1,43,039	1,56,369	109	49,037	33,642	69	1,92,076	1,90,012	99
2019-20	1,35,135	138,069	102	40,365	27,257	68	1,75,500	165,326	94
2018-19	1,10,000	1,25,654	114	33,000	24,013	73	1,43,000	1,49,667	105
2017-18	1,06,000	1,19,789	113	34,000	21,426	63	1,40,000	1,41,216	101
2016-17	95,000	1,05,001	111	30,000	18,215	61	1,25,000	1,23,216	99

3. **शाखा नेटवर्क**

31 मार्च 2021 की यथास्थिति 26 राज्यों (गोवा और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में) और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी) में 12 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नेटवर्क में 696 जिलों में 21,856 शाखाएँ (पिछले वर्ष के दौरान 21,847 शाखाएँ) शामिल थीं. इनमें से 92% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों / अर्ध शहरी क्षेत्रों में थीं.

4. तुलन-पत्र

देयता पक्ष में पूंजी के अंतः प्रवाह और उधार (24.8%) और जमाराशियों (9.7%) में वृद्धि के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान तुलन पत्र में 10.8% की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का आकार ₹6.52 लाख करोड़ का हो गया.

देयता पक्ष में निधियों की उपलब्धता में वृद्धि का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हैं. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की औसत वृद्धि दर 5.3% (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक – 3.2%, निजी क्षेत्र के बैंक 8.5%, विदेशी बैंक - 0.01%) की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सकल ऋण और अग्रिमों में 12% की वृद्धि हुई. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन पत्र अनुबंध II में दिया गया है.

5. **स्वाधिकृत निधियां**

31 मार्च 2021 को क्षेग्रा बैंकों की स्वाधिकृत निधियां**,** जिसमें शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां और अधिशेष शामिल हैं**,** ₹38**,**741 करोड़ थीं. वर्ष 2020-21 के दौरान इनमें 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. 30 क्षेग्रा बैंकों द्वारा ₹3,550 करोड़ का लाभ और पुन:पूँजीकरण के कारण शेयर पूंजी में वृद्धि स्वाधिकृत निधियों में वृद्धि का मुख्य कारण रहा**.**

6. जमाराशियां

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निधियों के स्रोत का 80% जमाराशियों से आता है. वर्ष 2020-21 के दौरान जमाराशियों में

9.7% की वृद्धि हुई और जमाराशियाँ ₹5.25 लाख करोड़ रहीं. भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान समग्र रूप से बैंकिंग सेक्टर की जमाराशियों में 12.3% की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ये जमाराशियाँ ₹154.43 लाख करोड़ थीं.

वर्ष के दौरान कम लागत वाली जमाराशियों (कासा जमाराशियों) का हिस्सा 31 मार्च 2020 की स्थिति 53.3% से कुछ बढ़कर 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 53.8% प्रतिशत हो गया. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कासा जमाराशियों का हिस्सा समग्र रूप से 43.7% था.

तालिका III: क्षेग्रा बैंकों की जमाराशियाँ

(₹ करोड़)

क्रम सं.	पैरामीटर	31-मार्च-19		31-मार्च-20		31-मार्च-21	
		राशि	हिस्सा (%)	राशि	हिस्सा (%)	राशि	हिस्सा (%)
1	कुल जमाराशियाँ	4,34,444	100	4,78,737	100	5,25,226	100
क)	चालू	11,124	3	10,750	2	11,499	2
ख)	बचत	2,24,095	51	2,44,414	51	2,71,516	52
ग)	मीयादी	1,99,226	46	2,23,573	47	2,42,211	46
2	कासा जमाराशियाँ (%)	54		53		54	
3	जमाराशियों की लागत (%)	5.0		5.1		4.5	
4	कुल देयताओं में हिस्सा	80.7		81.4		80.6	

31 मार्च 2021 को 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियां `10,000 करोड़ से अधिक थीं जो कुल जमाराशियों का 80% थीं. 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमाराशियां, ₹5,000 करोड़ और ₹10,000 करोड़ के बीच थीं. इस तरह से, 33 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रत्येक की जमाराशियां `5,000 करोड़ से अधिक थीं, जो कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशियों का 96% है. बड़ौदा यूपी बैंक की जमाराशियां सर्वाधिक अर्थात् ₹52,391 करोड़ थीं जबकि नागालैंड ग्रामीण बैंक की जमा राशियां सबसे कम ₹117 करोड़ थी.

कुल जमाराशियों में कम लागत वाली जमाराशियों (कासा) का हिस्सा 23% (सप्तगिरी ग्रामीण बैंक) से 79% (मणिपुर ग्रामीण बैंक) के बीच रहा.

तालिका IV: कासा जमा की रेंज

सीएएसए जमा की रेंज %	क्षेग्रा बैंकों की संख्या	कुल जमाराशियों में बैंकों की जमाराशियों का % हिस्सा
> 70 %	8	18.1
60 % to 70 %	7	18.6
50 % to 60 %	11	22.7
30 % to 50 %	14	36.1
<30 %	3	4.5
कुल	**43**	**100.0**

31 मार्च 2021को 8 क्षेग्रा बैंकों - आर्यावर्त बैंक, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक, मेघालय ग्रामीण बैंक, प्रथमा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की कासा जमाराशियां 70% से अधिक थीं. 9 क्षेग्रा बैंकों की कासा जमाराशियां 40 प्रतिशत से कम थीं और इनमें से 08 बैंक देश के दक्षिणी क्षेत्र में परिचालनरत हैं.

7. उधार

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उधार राशियों में 24.8% की भारी वृद्धि हुई और 31 मार्च 2021 को उधार राशियाँ. ₹67,864 करोड़ थीं. विशेष तरलता सुविधा (एसएलएफ़) के अंतर्गत सहायता और नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंड में कुछ रियायतों के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिए जाने वाली उधार राशि में 33.5% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लिए गए कुल उधार में से नाबार्ड द्वारा दिए गए उधार का हिस्सा 91% तक बढ़ गया.

तालिका V: क्षेग्रा बैंकों का उधार

(₹ करोड़)

क्रम सं.	मापदंड	31-मार्च-19		31-मार्च-20		31-मार्च-21	
		राशि	हिस्सा (%)	राशि	हिस्सा (%)	राशि	हिस्सा (%)
1	कुल उधार	53,548	100	54,393	100	67,864	100
क)	नाबार्ड	46,894	88	46,120	85	61,588	91
ख)	प्रायोजक बैंक	3,738	7	4,519	8	3,444	5
ग)	अन्य	2,916	5	3,754	7	2,832	4
2	देयताओं के लिए उधार (%)	9.9%		9.2%		10.4%	
3	ऋणों के लिए उधार (%)	19.1%		18.2%		20.3%	
4	उधार की लागत (%)	6.0%		5.9%		5.1%	

8. निवेश

31 मार्च 2020 को क्षेग्रा बैंकों का कुल निवेश `2,50,859 करोड़ था जो 9.9% बढ़कर 31 मार्च 2021 को ₹2,75,658 करोड़ हो गया. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल निवेश में से एसएलआर प्रतिभूतियों के हिस्से में तीव्र वृद्धि हुई. यह हिस्सा 57% से बढ़कर 70% हो गया. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सावधि जमा खातों में लगाई गई निधियों का हिस्सा 37% से घटकर 26% रह गया.

तालिका VI: निवेश

(₹ करोड़)

क्रम सं.	पैरामीटर	31-मार्च-19		31-मार्च-20		31-मार्च-21	
		राशि	हिस्सा (%)	राशि	हिस्सा (%)	राशि	हिस्सा (%)
1	कुल निवेश	2,26,172	100	2,50,859	100	2,75,658	100
क)	एसएलआर निवेश	1,38,113	61	1,43,166	57	1,93,097	70
ख)	जमा खाते में शेष राशि	72,928	32	92,292	37	72,052	26
ग)	गैर एसएलआर/अन्य निवेश	15,131	7	15,401	6	10,510	4
2	आईडी अनुपात (%)	52%		52%		52%	
3	जमाराशियों में एसएलआर निवेश (%)	32%		30%		37%	
4	कुल संपत्ति में निवेश (%)	42%		43%		42%	
5	निवेश पर प्रतिफल (%)	7.0%		7.0%		6.5%	

9. बकाया ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 5.3% की दर से वृद्धि हुई. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार यह राशि ₹110.8 लाख करोड़ थी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में ऋण संबंधी वृद्धि 12% से अधिक थी जोकि बैंकिंग सेक्टर के औसत की ऋण वृद्धि से दोगुनी से अधिक थी.

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार सकल ऋण और अग्रिम ₹3.34 लाख करोड़ थे, इनमें से 90% से अधिक ऋण और अग्रिम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचान किए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए दिए गए थे. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में से 70% कृषि क्षेत्र के लिए, उसके बाद एमएसएमई (12%), आवास (7%) और शिक्षा (1%) थे. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ऋणों में अच्छी वृद्धि के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात 31 मार्च 2020 की स्थिति में 62% था. 31 मार्च 2021 में यह अनुपात बढ़कर 64% हो गया.

तालिका VII: प्रयोजन-वार बकाया अग्रिम

(₹ करोड़)

प्रयोजन	31 मार्च 2019		31 मार्च 2020		31 मार्च 2021		2020-21 में साल-दर-साल वृद्धि
	राशि	हिस्सा (%)	राशि	हिस्सा (%)	राशि	हिस्सा (%)	
प्राथमिकता (i से v)	**2,55,022**	**91%**	**2,70,182**	**91%**	**3,00,962**	**91%**	**11%**
i कृषि	1,96,228	70%	2,08,762	70%	2,33,145	70%	12%
ii एमएसएमई	33,723	12%	35,240	12%	39,543	12%	12%
iii शिक्षा	2,634	1%	2,358	1%	2,132	1%	-10%
vi आवास	18,238	6%	19,814	7%	21,127	7%	7%
v अन्य	4,199	1%	4,008	1%	5,016	1%	25%
गैर प्राथमिकता	**25,733**	**9%**	**28,032**	**9%**	**33,209**	**9%**	**18%**
सकल ऋण बकाया	**2,80,755**	**100%**	**2,98,214**	**100 %**	**3,34,171**	**100%**	**12%**
सीडी अनुपात (%)	64.6		62.3		63.6		
अग्रिम पर प्रतिफल (%)	8.8		9.3		9.2		

9.1 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) मानदंडों के तहत कार्य निष्पादन

भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर निदेश दिनांक 4 सितंबर 2020 के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

क) अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तर्ज पर 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त न करने' के लिए दिशानिर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू किए गए हैं. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 से अपने पीएसएल लक्ष्य / उप-लक्ष्यों के समक्ष ऋण न देने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आरआईडीएफ और अन्य पुनर्वित्त निधियों के लिए अंशदान देना होगा.

ख) "छोटे और सीमांत किसानों" और "कमजोर वर्गों" के लिए निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है. एसएफ/एमएफ श्रेणी के तहत प्राथमिकता प्राप्त ऋण प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) की बढ़ती मांग के कारण एसएफ/एमएफ श्रेणी के तहत लक्ष्यों में वृद्धि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लाभ होगा.

ग) एसएफ/एमएफ के लिए ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बकाया सकल ऋण का लगभग 47% है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एसएफ/एमएफ श्रेणी के तहत ₹78,837 करोड़ की राशि वाले पीएसएलसी जारी किए थे. वित्त वर्ष 2020-21 में समग्र रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा पीएसएलसी जारी करने के माध्यम से कुल ₹2,069 करोड़ की फीस आय अर्जित की गई थी, जिसमें अकेले एसएफ/एमएफ श्रेणी के तहत पीएसएलसी जारी करने के माध्यम से फीस आय ₹1,378 करोड़ (67%) थी.

घ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कुल ₹1.93 लाख करोड़ के पीएसएलसी का कारोबार किया गया. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किए गए पीएसएलसी के कारोबार में 26% की वृद्धि हुई. सभी बैंकों द्वारा कारोबार किए गए पीएसएलसी मे से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा 33% रहा.

ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एसएफ/एमएफ श्रेणी और कृषि श्रेणी के तहत पीएसएलसी के प्रमुख विक्रेता रहे हैं चूंकि एसएफ/एमएफ और कृषि श्रेणी के तहत शुल्क (%) अधिक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इन श्रेणियों के तहत पीएसएलसी जारी कर रहे हैं और सामान्य श्रेणी के तहत पीएसएलसी खरीद रहे हैं जहां शुल्क (%) कम है.

च) भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन मानदंडों को हटा दिया है जिसके तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने बकाया अग्रिमों के 75% से अधिक आईबीपीसी जारी करना अनिवार्य हैं.

छ) विभिन्न पीएसएल लक्ष्य/उप-लक्ष्यों के तहत उपलब्धि की गणना पिछले वर्ष की इसी तारीख के अनुसार एएनबीसी (समायोजित नेट बैंक क्रेडिट) के आधार पर की जाएगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी पीएसएलसी में वृद्धि के साथ एएनबीसी में कमी आएगी. परिणामस्वरूप, जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पीएसएलसी/ आईबीपीसी जारी करते हैं तो जिस आधार पर पीएसएल उपलब्धि की गणना की जाती है, वह भी कम हो जाएगा.

ज) प्रत्येक श्रेणी के तहत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा जारी और खरीदे गए पीएसएलसी का विवरण तालिका VIII में दिया गया है.

तालिका VIII: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रमाण पत्र (पीएसएलसी)

जारी पीएसएलसी (राशि ₹करोड़ में)						
पीएसएलसी श्रेणी	**वित्तीय वर्ष 2019-20**			**वित्तीय वर्ष 2020-21**		
	क्षेग्रा बैंकों की संख्या	**पीएसएलसी का मूल्य**	**अर्जित शुल्क राशि**	**क्षेग्रा बैंकों की संख्या**	**पीएसएलसी का मूल्य**	**अर्जित शुल्क राशि**
पीएसएलसी कृषि	13	20,401	232	24	40,731	625
पीएसएलसी सामान्य	3	1,275	4	7	4,004	24
पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	3	6,272	38	9	3,580	42
पीएसएलसी छोटे किसान / सीमांत किसान	29	70,464	1,089	29	78,837	1,378
कुल	**30**	**98,412**	**1,363**	**33**	**1,27,151**	**2,069**

खरीदे गए पीएसएलसी (राशि ₹करोड़ में)						
पीएसएलसी श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2019-20			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	क्षेग्रा बैंकों की संख्या	पीएसएलसी का मूल्य	खर्च की गई शुल्क राशि	क्षेग्रा बैंकों की संख्या	पीएसएलसी का मूल्य	खर्च की गई शुल्क राशि
पीएसएलसी –कृषि	4	940	14	5	735	12
पीएसएलसी –सामान्य	15	45,109	158	20	52,628	232
पीएसएलसी –सूक्ष्म उद्यम	9	8,247	44	8	7,125	38
पीएसएलसी - छोटे किसान / सीमांत किसान	1	350	3	3	4,953	46
कुल	**17**	**54,646**	**220**	**23**	**65,440**	**327**

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों/ उप लक्ष्यों के समक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धि और ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सूची जिन्होंने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित ऋण संबंधी दिशानिर्देशों में निहित लक्ष्य / उप-लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं, को तालिका IX में प्रस्तुत किया गया है.

तालिका IX: पीएसएल लक्ष्य और उपलब्धि –वित्तीय वर्ष 2020-21

क्षेत्र /उप क्षेत्र	लक्ष्य (%)	समेकित उपलब्धि (%)	क्षेग्रा बैंक जिनके द्वारा लक्ष्य/ उप-लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए
समग्र प्राथमिकता क्षेत्र	75	92.0	● अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ● मेघालय ग्रामीण बैंक ● नागालैंड ग्रामीण बैंक
कृषि	18	50.0	● अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ● नागालैंड ग्रामीण बैंक
छोटे और सीमांत किसान	8	31.4	-
गैर-कॉर्पोरेट किसान	12.14	83.5	-
सूक्ष्म उद्यम	7.5	15.1	-
कमजोर वर्ग	15	70.3	-
नोट : लक्ष्य और उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिथि के अनुसार एएनबीसी के% के रूप में हैं.			

10. कार्य परिणाम

लाभप्रदता और व्यवहार्यता

i. लाभप्रदता

वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 में लगातार दो वर्षों की हानि के बाद, क्षेग्रा बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान समग्र रूप से ₹1,682 करोड़ का समेकित निवल लाभ अर्जित किया. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद 01 अप्रैल 2018 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन योजना, 2018 के कार्यान्वयन के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने वित्तीय वर्ष 1996-97 के बाद पहली बार 2018-19 में समेकित निवल हानि दर्ज की. पेंशन योजना के कार्यान्वयन के कारण भारी पेंशन देयता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेग्रा बैंकों को 2018-19 से पांच वर्षों की अवधि में अपनी कुल पेंशन देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है जो प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन की गई पेंशन देयता के न्यूनतम 20% के अधीन है.

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 30 क्षेग्रा बैंकों ने ₹3,550 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 13 क्षेग्रा बैंकों को ₹1,867 करोड़ की हानि हुई. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जिन 5 क्षेग्रा बैंकों को हानि हुई थी उन बैंकों ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित किया. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेग्रा बैंकों की लाभप्रदता में सुधार के कारण नीचे दिए गए हैं:

क) आस्तियों से होने वाली आय में गिरावट की तुलना में निधियों की लागत में अधिक गिरावट के कारण निवल ब्याज मार्जिन में सुधार हुआ.

ख) विविध आय में बेहतर वृद्धि- क्षेग्रा बैंकों ने अपनी विविध आय बढ़ाने के लिए अपने उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) पोर्टफोलियो (विशेषकर कृषि और एसएफ/एमएफ पोर्टफोलियो) का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) में 26% की वृद्धि हुई और यह ₹1.92 लाख करोड़ हो गया और सभी बैंकों द्वारा जारी पीएसएलसी की कुल संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा 33% रहा. पीएसएल दिशानिर्देशों के तहत आरबीआई द्वारा घोषित एसएफ/एमएफ लक्ष्यों में चरणबद्ध वृद्धि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पीएसएलसी जारी करने के माध्यम से अपने एसएफ/एमएफ पोर्टफोलियो का मुद्रीकरण करने में मदद मिल सकती है.

ग) आस्ति गुणवत्ता और ऋण-जमा (सीडी) अनुपात में सुधार

क्षेग्रा बैंकों की समेकित आय और व्यय विवरण अनुबंध **III** में दिया गया है. पिछले **3** वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभप्रदता तालिका संख्या **VII** में दी गई है.

तालिका X: लाभप्रदता

(₹ करोड़)

संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21
क्षेग्रा बैंकों की संख्या	53	45	43
लाभ दर्शाने वाले क्षेग्रा बैंकों की संख्या	39	26	30
लाभ दर्शाने वाले क्षेग्रा बैंकों के लाभ की राशि	1,759	2,203	3,550
हानि दर्शाने वाले क्षेग्रा बैंकों की संख्या	14	19	13
हानि दर्शाने वाले क्षेग्रा बैंकों की हानि की राशि	2,411	4,411	1,867
संचित हानि दर्शाने वाले क्षेग्रा बैंकों की संख्या	11	17	17
संचित हानि	2,887	6,467	8,264
सभी क्षेग्रा बैंकों का निवल लाभ	(-)652	(-)2,208	1,682

ii. व्यवहार्यता

अधिकांश अर्थात्, 43 में से 26 क्षेग्रा बैंक 31 मार्च 2021को संधारणीय रूप से व्यवहार्य थे (अर्थात् लाभ अर्जित कर रहे थे और संचयी हानियाँ शून्य थीं). वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 04 क्षेग्रा बैंक लाभ अर्जित कर रहे थे परंतु उनमें पूर्ववर्ती वर्षों की संचित हानियाँ थीं. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान में 13 क्षेग्रा बैंकों को हानि हुई थी और उन्होंने संचयी हानि दर्ज की थी. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 17 क्षेग्रा बैंकों में संचित हानियाँ ₹8264 करोड़ थी जबकि 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार संचित हानियाँ ₹6467 करोड़ थीं.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार हानि दर्ज़ करने वाले 13 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 05 पूर्वी क्षेत्र से, 03 पूर्वोत्तर क्षेत्र से, 02 उत्तरी क्षेत्र से, 02 मध्य क्षेत्र से और 01 पश्चिमी क्षेत्र से था. वित्तीय वर्ष 2021 के अंत में दक्षिणी क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संधारणीय रूप से व्यवहार्य स्थिति में थे.

तालिका XI: व्यवहार्यता

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	व्यवहार्यता श्रेणी	31 मार्च 2019			31 मार्च 2020			31 मार्च 2021		
		क्षेग्रा बैंकों की संख्या	संचित हानि	वर्तमान लाभ/ हानि (-)	क्षेग्रा बैंकों की संख्या	संचित हानि	वर्तमान लाभ/ हानि (-)	क्षेग्रा बैंकों की संख्या	संचित हानि	वर्तमान लाभ/ हानि (-)
1	**संधारणीय रूप से व्यवहार्य अर्थात् संचित**	36	0	1,733	25	0	2,200	26	0	3,431

क्रम सं.	व्यवहार्यता श्रेणी	31 मार्च 2019			31 मार्च 2020			31 मार्च 2021		
		क्षेग्रा बैंकों की संख्या	संचित हानि	वर्तमान लाभ/ हानि (-)	क्षेग्रा बैंकों की संख्या	संचित हानि	वर्तमान लाभ/ हानि (-)	क्षेग्रा बैंकों की संख्या	संचित हानि	वर्तमान लाभ/ हानि (-)
	हानियों के बिना लाभ की स्थिति में									
2	**वर्तमान लाभ के साथ संचित हानि**	3	216	26	1	36	3	4	1,143	119
3	**क. वर्तमान हानि के साथ संचित हानि**	8	2,671	-1,212	16	6,431	-3,351	13	7,121	-1,867
	ख. वर्तमान हानि बिना संचित हानिके	6	0	-1,199	3	0	-1,060	0	0	0
4	**निवल स्थिति**	53	2,887	-652	45	6,467	-2,208	43	8,264	1,682
5	**संधारणीय रूप से व्यवहार्य क्षेग्रा बैंक का%**	**68**			**56**			**60**		

11. वित्तीयलागत और मार्जिन

निवल ब्याज मार्जिन(%)और विविध आय (%) में सुधार के कारण आस्तियों पर प्रतिफल (%) के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभप्रदता बहुत अधिक बढ़ी है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आस्तियों पर प्रतिफल (%) के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभप्रदता -0.40% थी जोकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर 0.27% हो गई. पिछले तीन वर्षों में लागत और मार्जिन की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका में दी गई है.

तालिका XII: वित्तीय लागत और मार्जिन (%)

क्रम सं.	पैरामीटर	2018-19	2019-20	2020-21
1.	ऋण पर प्रतिफल	8.8	9.3	9.2
2.	निवेश पर प्रतिफल	7.1	7.0	6.5

3.	**आस्तियों पर प्रतिफल**	**7.5**	**7.9**	**7.6**
4.	जमाराशियों की लागत	5.0	5.1	4.5
5.	उधार की लागत	6.0	5.9	5.1
6.	निधियों की लागत	4.6	4.7	4.2
7.	निवल ब्याज मार्जिन	2.9	3.2	3.4
8.	विविध आय	0.8	1.0	1.1
9.	स्टाफ की लागत	1.8	2.3	2.4
10.	प्रबंधन लागत	2.7	3.6	3.2
11.	जोखिम लागत	1.2	1.0	1.1
12.	आस्तियों पर प्रतिफल	-0.13	-0.40	0.27

12. आस्ति गुणवत्ता

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेग्रा बैंक की समेकित सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) 10.4% से घटकर 9.4% हो गई है. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान शुद्ध एनपीए में समग्र रूप से और प्रतिशतके रूप में दोनों तरह से गिरावट आई है. प्रावधानन कवरेज अनुपात (पीसीआर) में पिछले 3 वर्षों में निरंतर सुधार देखा गया है. 28 क्षेग्रा बैंकों ने 31 मार्च 2021 को 31 मार्च 2020 की स्थिति के समक्ष कम जीएनपीए (%) रिपोर्ट किया है. इन 28 क्षेग्रा बैंकों में से 18 क्षेग्रा बैंकों ने जीएनपीए (राशि) में पूर्ण कमी की रिपोर्टिंग की है. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अवमानक आस्तियों में जहां 7.9% की गिरावट आई, वहीं संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों में क्रमशः 4.9% और 4.8% की वृद्धि हुई.

तालिका XIII: क्षेग्रा बैंकों में अनर्जक आस्तियों की स्थिति

(राशि ₹करोड़ में)

क्रम सं.	**पैरामीटर**	**31 मार्च 2019**	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2021**
अनर्जक आस्तियों की स्थिति				
1	सकल एनपीए राशि	30,317	31,106	31,381
2	निवल एनपीए राशि	17,843	16,331	15,094
3	जीएनपीए %	10.8	10.4	9.4
4	निवल एनपीए %	6.8	5.8	4.8
5	प्रावधानन कवरेज अनुपात (%)	40	47	51

तालिका XIV: अनर्जक आस्तियों का वर्गीकरण							
(राशि ₹ करोड़ में)							
एनपीए की श्रेणी	**31-मार्च-19**		**31-मार्च-20**		**31-मार्च-21**		**2020-21 में साल-दर-साल वृद्धि**
	राशि	**(%)**	**राशि**	**(%)**	**राशि**	**(%)**	**(%)**
अवमानक -1	12,977	4.6	10,608	3.6	9,828	2.9	-7.9
संदिग्ध आस्तियां -2	16,546	5.9	19,655	6.5	20,666	6.2	4.9
हानि वाली आस्तियां - 3	794	0.3	843	0.3	886	0.3	4.8
सकल एनपीए (1+2+3)	**30,317**	**10.8**	**31,106**	**10.4**	**31,381**	**9.4**	**1.8**

क्षेग्रा बैंकों में अनर्जक आस्तियां (एनपीए) की क्षेत्रवार स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

तालिका XV: विभिन्न क्षेत्रों में सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) (%)				
क्रम सं.	***क्षेत्र / उप क्षेत्र***	***31 मार्च 2019***	***31 मार्च 2020***	***31 मार्च 2021***
1	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	11.3	10.8	9.9
2	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण	6.1	6.5	4.6
3	कुल एनपीए	10.8	10.4	9.4
सेक्टोरल एनपीए (प्राथमिकता प्राप्त + गैर प्राथमिकता प्राप्त)				
I	कृषि (अ+आ+इ)	9.8	8.7	8.3
अ	कृषि ऋण (i+ii+iii)	9.7	8.5	8.2
i	*फसल ऋण*	*9.0*	*7.3*	*6.9*
ii	निवेश ऋण	*14.9*	*14.9*	*18.3*
iii	सम्बद्ध गतिविधियां	*10.1*	*11.3*	*8.5*
आ	कृषि आधारभूत सुविधा	12.2	15.2	15.0
इ	सहायक गतिविधियां	30.9	34.1	22.5
II	एमएसएमई	20.6	21.4	19.4
III	शिक्षा	17.2	26.0	23.1
IV	आवास	7.9	10.0	7.0

एनपीए में कमी के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- नाबार्ड द्वारा आयोजित की गई सभी समीक्षा बैठकें जिसमें भारत सरकार सहित सभी हितधारक भाग लेते हैं, में क्षेग्रा बैंकों में एनपीए की स्थिति की समीक्षा एक कार्यसूची मद रहा है.
- अन्य बातों के साथ-साथ 10% से अधिक सकल एनपीए वाले बैंकों की 'क्षेग्रा बैंक इन फोकस' के रूप में पहचान की गई है और उन्हें सूचित किया गया है कि वे अपने एनपीए स्तर को कम करने के लिए निगरानी योग्य कार्य योजना तैयार करें तथा बोर्ड की बैठकों में उसकी समीक्षा की जाए.
- 'क्षेग्रा बैंक इन फोकस' की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए इनकी समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं.
- नाबार्ड ने सभी क्षेग्रा बैंकों को अनिवार्य रूप से 'सिस्टम जनरटेड एनपीए प्लेटफॉर्म' में शामिल होने का निर्देश दिया है.
- क्षेग्रा बैंकों ने समीक्षा बैठकों में सूचित किया है कि वसूली की स्थिति की निगरानी और एनपीए में लक्षित कमी सुनिश्चित करने के लिए क्षेग्रा बैंकों में एनपीए प्रबंधन कक्ष बनाए गए हैं.
- क्षेग्रा बैंकों के स्तर पर, उनके सभी अध्यक्ष अपने क्षेत्रीय प्रबंधकों की सहायता से - केवल स्थिति में सुधार करने के लिए ही नहीं, बल्कि एनपीए में वृद्धि को रोकने के लिए भी शाखावार एनपीए की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.
- सभी क्षेग्रा बैंक नियमित आधार पर वसूली शिविर आयोजित करते हैं और एनपीए के स्तर को कम करने के लिए अन्य वसूली रणनीतियों का पालन करते हैं.

13. उत्पादकता

प्रति शाखा और प्रति कर्मचारी कारोबार के मामले में क्षेग्रा बैंकों की उत्पादकता में पिछले कुछ वर्षों में नियमित वृद्धि हुई है जोकि 31मार्च 2021 को क्रमशः ₹39.3 करोड़ और ₹9.8 करोड़ है.

तालिका XVI: उत्पादकता

(राशि ₹ करोड़ में)

उत्पादकता	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प्रति शाखा	22.7	24.9	27.9	30.1	32.7	35.6	39.3
प्रति कर्मचारी	5.3	5.9	6.9	7.3	7.7	8.5	9.8

14. **ऋण जमा अनुपात**

क्षेग्रा बैंकों का ऋण जमा अनुपात 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 64% रहा जोकि 31 मार्च 2020 को 62% था. पिछले तीन वर्षों में जमा ऋण अनुपात की अलग-अलग रेंज के अनुसार क्षेग्रा बैंकों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है. जबकि, दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में ऋण जमा अनुपात अच्छा था, पूर्वी, पूर्वोत्तर और मध्यवर्ती राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण जमा अनुपात बहुत कम था.

तालिका XVII: ऋण जमा अनुपात की रेंज				
क्रम सं.	**ऋण जमा अनुपात की रेंज**	**31 मार्च 2019**	**31 मार्च 2020**	**31 मार्च 2021**
1	30% से कम	3	3	3
2	30% से 40% के बीच	9	10	7
3	40% से 60% के बीच	18	14	14
4	60% से 80% के बीच	11	9	10
5	80% से अधिक	12	9	9
कुल		**53**	**45**	**43**

15. **पूंजी पर्याप्तता**

भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक शर्तों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 9% का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखना अपेक्षित है. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 27 क्षेग्रा बैंकों का सीआरएआर 9% या उससे अधिक था जबकि 16 क्षेग्रा बैंकों ने 9% से कम सीआरएआर रिपोर्ट किया है. 9% से कम सीआरएआर वाले क्षेग्रा बैंकों की सूची तालिका XVIII में दी गई है. क्षेग्रा बैंकोंके पूरे तंत्र का सीआरएआर 31 मार्च 2020 की स्थिति में 10.3% था जोकि 31 मार्च 2021 की स्थिति में थोड़ा घटकर 10.2% हो गया.

तालिका XVIII: < 9% सीआरएआर वाले क्षेग्रा बैंक		
क्रम सं.	**क्षेग्रा बैंक का नाम**	**31.3.2021**
1	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	-20.80
2	उत्कल ग्रामीण बैंक	-16.01
3	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	-11.17
4	इलाकाई देहाती बैंक	-8.22
5	ओडिशा ग्राम्य बैंक	-7.61
6	नागालैंड ग्रामीण बैंक	-2.93
7	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	-2.33
8	जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक	-0.35
9	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक	0.27
10	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक	0.34

तालिका XVIII: < 9% सीआरएआर वाले क्षेग्रा बैंक		
क्रम सं.	**क्षेग्रा बैंक का नाम**	**31.3.2021**
11	असम ग्रामीण विकास बैंक	1.83
12	मणिपुर ग्रामीण बैंक	2.37
13	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	2.69
14	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	5.66
15	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	6.25
16	केरल ग्रामीण बैंक	6.57

16. सरकारी योजनाओं में कार्यनिष्पादन

तालिका XIX: सरकारी योजनाओं में सहभागिता 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार खातों / नामांकनों की संख्या लाख में				
क्रम सं.	**सरकार की योजना**	**क्षेग्रा बैंक**	**कुल**	**क्षेग्रा बैंकों का हिस्सा**
1	पीएमजेडीवाई खातों की संख्या	755.72	4,220	18%
2	लाभार्थियों को जारी किए गए रुपे डेबिट कार्डों की संख्या	343.77	3,090	11%
3	पीएमएसबीवाई के अंतर्गत सूचीबद्ध व्यक्तियों की संचयी संख्या	295.22	2,326	13%
4	पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत सूचीबद्ध व्यक्तियों की संचयी संख्या	106.87	1,027	10%
5	एपीवाई के अंतर्गत सूचीबद्ध व्यक्तियों की संचयी संख्या	55.22	280	20%
6	पीएम-किसान लाभार्थी-खातों की कुल संख्या	179.79	975	18%
7	किसान क्रेडिट कार्ड	129	738	17%

भाग II –क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विकास के लिए नीतिगत पहलें और सहयोग

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एलएएफ और एमएसएफ की शुरुआत:

क्षेग्रा बैंकों को चलनिधि प्रबंधन के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले अनुसूचित क्षेग्रा बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) की समयावधि में विस्तार किया.

2. कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार तक पहुंच

भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसंबर 2020 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से क्षेग्रा बैंकों को उधारकर्ता और उधारदाता दोनों के रूप में कॉल/ नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति दी है. क्षेग्रा बैंक के लिए

कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार पर विवेकपूर्ण सीमाएं और अन्य दिशानिर्देश वही होंगे जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू हैं.

3. नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता

नाबार्ड बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है ताकि अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण वितरण के लिए उनके संसाधन बढ़ सकें. पुनर्वित्त से जमीनी स्तर पर ऋण में बढ़ोतरी होगी और पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिल सकेगा.

कोविड-19 महामारी के बाद कृषि और अनुषंगी गतिविधियों के साथ-साथ ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र में निरंतर ऋण प्रवाह हेतु सहायता प्रदान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड में विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ़) की शुरुआत की ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी-एमएफआई के ऋण परिचालनों में सहायता प्रदान की जा सके.

2020-21 के दौरान, नाबार्ड ने क्षेग्रा बैंकों को कुल ₹44,975 करोड़ का पुनर्वित्त संवितरित किया, जिसमें ₹15,157 करोड़ का दीर्घावधि पुनर्वित्त और ₹29,818 करोड़ का अल्पावधि पुनर्वित्त शामिल था. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नाबार्ड द्वारा क्षेग्रा बैंकों को दिए गए पुनर्वित्त में 61% की वृद्धि हुई.

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए एक उदार नीति अपनाई. नाबार्ड ने अपने स्वयं के आंतरिक जोखिम-रेटिंग टूल को लागू कर ऐसे क्षेग्रा बैंकों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराई जो अन्यथा पुनर्वित्त के लिए पात्र नहीं हो पाते.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 35 क्षेग्रा बैंकों (27 से अधिक) ने पुनर्वित्त का लाभ उठाया. नए पात्र क्षेग्रा बैंकों में अधिकांशतः पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के क्षेग्रा बैंक शामिल हैं जिसके फलस्वरूप ऋण-प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है. नाबार्ड ने पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सीमा मंजूर करने के लिए विशेष प्रोत्साहन भी दिया ताकि वे अल्पावधि-मौसमी कृषि कार्यों के लिए उधार देने में सक्षम हो सकें.

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन पर समीक्षा बैठक

नाबार्ड द्वारा क्षेग्रा बैंक के कार्यनिष्पादन का नियमित रूप से अनुप्रवर्तन किया जाता है. 2020-21 के दौरान, क्षेग्रा बैंकों की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन 9 सितंबर2020 को वर्चुअल माध्यम से किया गया.

निम्नलिखित तीन मानदंडों नामतः सीआरएआर 10% से कम, जीएनपीए 10% से अधिक, लगातार पिछले दो वर्षों से आस्तियों पर नकारात्मक रिटर्न (%)में से किसी एक को पूरा करने वाले क्षेग्रा बैंकों को 'आरआरबी इन फोकस' के रूप में वर्गीकृत किया गया है.'आरआरबी इन फोकस' के रूप में चिन्हित ऐसे कमजोर क्षेग्रा बैंकों के प्रभावी अनुप्रवर्तन के लिए दिसंबर 2020 में राष्ट्रीय स्तर की बैठकें आयोजित की गईं ताकि वे अपनी मोनिटेरेबल कार्य योजनाओं (एमएपी) में आवश्यक सुधार कर सकें और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो. 'आरआरबी इन फोकस' की व्यवस्था क्षेग्रा बैंकों के लिए सावधानी संकेतक के रूप में कार्य करती है ताकि क्षेग्रा बैंकों की वित्तीय स्थिति में और गिरावट और पीसीए फ्रेमवर्क में जाने से बचने के लिए सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें.

31 मार्च 2021 को लेखा-परीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर, 23 क्षेग्रा बैंक 'इन फोकस' श्रेणी में हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 5 क्षेग्रा बैंक इस फ्रेमवर्क से बाहर हो गए हैं जिनमें आर्यावर्त बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक शामिल हैं. 2 क्षेग्रा बैंकों

नामतःकर्नाटक ग्रामीण बैंक और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार उनकी लेखापरीक्षित स्थिति के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस व्यवस्था में शामिल किया गया.

पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर में क्षेग्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए 10 फरवरी 2021 को विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक का उद्देश्य रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति को वित्तीय दायरे में शामिल करने में होने वाली चुनौतियों का समाधान करना था.

5. क्षेग्रा बैंकों का समामेलन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेग्रा बैंक) की स्थापना वर्ष 1975 में ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े तबकों की ऋण जरूरतों का समाधान करने के लिए ऋण सहकारिताओं और वाणिज्य बैंकों की सकारात्मक विशेषताओं को समाहित करने के अधिदेश के साथ की गई थी. उनका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तथा पर्यवेक्षण नाबार्ड द्वारा किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2001 में डॉ वी एस व्यास की अध्यक्षता में 'फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रिकल्चर एण्ड रिलेटेड एक्टिविटीज फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम' पर एक समिति गठित की थी जिसने ग्रामीण ऋण प्रणाली में क्षेग्रा बैंकों की प्रासंगिकता और इसे व्यवहार्य बनाने के विकल्पों की जांच की थी. श्री ए.वी.सरदेसाई की अध्यक्षता में गठित आंतरिक कार्य समूह पर भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट में क्षेग्रा बैंकों के समामेलन की सिफारिश की गई ताकि उनकी परिचालन व्यवहार्यता में सुधार किया जा सके और उन्हें आकार/ परिमाण में वृद्दि का लाभ मिल सके. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में समेकन की प्रक्रिया शुरू की गई.

समामेलन का प्रथम चरण वर्ष 2005 में एक राज्य के अंदर प्रायोजक बैंक-वार रूप में शुरू किया गया था और द्वितीय चरण 2012-15 के दौरान एक राज्य के अंदर समस्त प्रायोजक बैंकों के बीच कार्यान्वित किया गया था. समामेलन के दो चरणों के परिणामस्वरूप क्षेग्रा बैंकों की संख्या 196 से घटकर 56 रह गई और यह प्रक्रिया उनमें बेहतर क्षमता, उच्चतर उत्पादकता, सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, बेहतर वित्तीय समावेशन लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने में सफल रही.

भारत सरकार ने 2018-19 में क्षेग्रा बैंकों के समामेलन के तृतीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ की है जिसका सिद्धान्त यह है कि छोटे राज्यों के लिए '*एक राज्य-एक क्षेग्रा बैंक'* हो तथा बड़े राज्यों में क्षेग्रा बैंकों की संख्या कम की जाए. बिहार तथा पंजाब राज्यों में नए समामेलित क्षेग्रा बैंक 01 जनवरी2019 को अस्तित्व में आए. 31 मार्च 2019 की स्थिति में देश में 53 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे.

01 अप्रैल 2019 से, 7 राज्यों - असम, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 16 क्षेग्रा बैंकों को समामेलित कर 8 नए क्षेग्रा बैंक बनाए गए हैं जिससे देश में क्षेग्रा बैंकों की कुल संख्या 45 हो गई है.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान**,** उत्तर प्रदेश में **3** क्षेग्रा बैंकों नामतः बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक**,** काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक और पूर्वांचल बैंक को समामेलित कर 1अप्रैल 2020 से बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रायोजन के तहत बड़ौदा यू.पी. बैंक बनाया गया. इसके परिणामस्वरूप, 1अप्रैल 2020 से भारत में क्षेग्रा बैंकों की संख्या **43** हो गई. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समामेलन के कारण**,** 1अप्रैल 2020 से प्रायोजक बैंकों की संख्या भी 15 से घटकर 12 हो गई. पंजाब और सिंध बैंक को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक एक या एक से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रयोजक हैं. जे एंड के बैंक निजी क्षेत्र का अकेला ऐसा बैंक है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रयोजक है.

6. मौजूदा हितधारकों के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी जुटाना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार क्षेग्रा बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹2000 करोड़ कर दी गई है. संशोधन में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक की संयुक्त हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए, इससे मौजूदा हितधारकों के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी जुटाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है. अधिनियम में संशोधन 4 फरवरी 2016 से लागू किए गए हैं.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (क्षेग्रा बैंक प्रभाग) ने क्षेग्रा बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की जांच करने के लिए मई 2018 में एक समिति का गठन किया. इसके अध्यक्ष उप प्रबंध निदेशक, नाबार्ड थे तथा सदस्य के रूप में 03 प्रयोजक बैंकों के महाप्रबंधक इसमें शामिल किए गए थे. समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर, 2019 के परिपत्र के माध्यम से क्षेग्रा बैंकों को बेमियादी ऋण लिखत (पीडीआई) जारी करने की अनुमति दी, जो निर्धारित सीआरएआर को बनाए रखने के लिए टियर 1 पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र है. तथापि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी क्षेग्रा बैंक ने पीडीआई जारी नहीं किया है.

7. क्षेग्रा बैंकों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पैनल

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 19(1) और 19(2) के अनुसार, प्रत्येक क्षेग्रा बैंक से यह अपेक्षित है कि वह अपने खातों की सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करे और साथ ही भारत सरकार की पूर्वानुमति से उन्हें देय पारिश्रमिक का निर्धारण करे.भारत सरकार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों के अनुसार, नाबार्ड अनुमोदन के लिए भारत सरकार को लेखा परीक्षकों की सूची की संस्तुति करेगा. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए क्षेग्रा बैंकों के खातों की सांविधिक लेखा-परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की सूची मई 2021 में बैंकों को भेजी गई थी और 30 जून 2021 की निर्धारित तिथि तक सभी क्षेग्रा बैंकों में सांविधिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए क्षेग्रा बैंकों की सांविधिक लेखा परीक्षा करने वाले लेखा परीक्षकों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य जारी है.

8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुन:पूंजीकरण

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 फरवरी, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में क्षेग्रा बैंकों के पुन:पूंजीकरण की योजना को मंजूरी दी थी ताकि उनका सीआरएआर 9% से अधिक हो सके और वे उसे बनाए रख सकें. 2011 के बाद, ₹2,900 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ क्षेग्रा बैंकों के पुन:पूंजीकरण की योजना को चरणबद्ध रूप से वित्त वर्ष 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया था. इस सहायता राशि की 50% अर्थात् ₹1,450 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा दी जानी थी.

25 मार्च 2020 को, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 9% का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखने में अक्षम क्षेग्रा बैंकों के लिए पुन:पूंजीकरण की प्रक्रिया को 2019-20 के बाद एक और वर्ष, अर्थात् 2020-21 तक जारी रखने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की. इसके अलावा, समिति ने क्षेग्रा बैंकों के पुन:पूंजीकरणकी योजना के लिए केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹670 करोड़ (अर्थात्, ₹1340 करोड़ की कुल पुन:पूंजीकरण सहायता का 50%) के उपयोग के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया. वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत

सरकार द्वारा मंजूर पुन:पूंजीकरण सहायता के विवरण का सारांश नीचे दी गई तालिका में दिया गया है.

तालिका XX:मंजूर पुन:पूंजीकरण में भारत सरकार का हिस्सा (50%)

राशि ₹करोड़ में

क्रम सं.	**क्षेग्रा बैंक का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**
1.	असम ग्रामीण विकास बैंक	20.74	12.35
2.	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक	111.36	66.30
3.	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	75.72	45.08
4.	इलाकाई देहाती बैंक	7.84	-
5.	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	21.30	12.68
6.	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	48.33	7.58
7.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	2.34	-
8.	नागालैंड ग्रामीण बैंक	0.68	-
9.	ओडिशा ग्राम्य बैंक	99.26	34.57
10.	उत्कल ग्रामीण बैंक	237.72	-
11.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	36.01	21.44
12.	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक*	39.22	-
कुल		**700.52**	**200.00**

** वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नाबार्ड द्वारा भारत सरकार के हिस्से की ₹39.22 करोड़ की राशि विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक को जारी की गई. यह राशि इस बैंक के लिए पुन:पूंजीकरणसहायता के राज्य सरकार संबंधी हिस्से की राशि प्राप्त होने के बाद जारी की गई.*

कुल मंजूर पुन:पूंजीकरण में हिस्सा (भारत सरकार:राज्य सरकार: प्रयोजक बैंक) = (50:15:35)

9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मानव संसाधन विकास से संबंधित मामले

नाबार्ड क्षेग्रा बैंकों में मानव संसाधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को देखता है तथा नियुक्ति और पदोन्नति, सेवा नियम, श्रम-शक्ति आयोजना/ स्टाफिंग पैटर्न, पेंशन सहित सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों और कर्मचारी के कल्याण से जुड़े विभिन्न उपायों आदि से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को अपनी राय देता है.

(i) वेतन और भत्ते

क्षेग्रा बैंकों के कर्मचारी आम तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपने समकक्ष स्टाफ के समान वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 11वें द्विपक्षीय समझौते/8वें संयुक्त नोट के अनुसार क्षेग्रा बैंकों के कर्मचारियों के संशोधित वेतन और भत्ते अप्रैल 2021 में मंजूर किए थे.

(ii) *पेंशन योजना*

सभी क्षेग्रा बैंकों ने 01 अप्रैल 2018 से राष्ट्रीयकृत बैंकों के अनुरूप सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल पेंशन योजना को अपनाया है. हालांकि, मॉडल पेंशन योजना से संबंधित कुछ मुद्दों पर विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पेंशन विनियमों में कुछ संशोधन करने के लिए नाबार्ड ने भारत सरकार को अलग से भी प्रस्ताव दिया है.

पेंशन योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, क्षेग्रा बैंकों को पेंशन के लिए कुल ₹27,444 करोड़ (बीमांकिकीय मूल्यांकन के माध्यम से उनके द्वारा किए गए आकलन के अनुसार) की देयता हेतु प्रावधान करने की आवश्यकता है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेग्रा बैंकों को पांच वर्ष (2018-19 से 2022-23) की अवधि में पेंशन देयता की चुकौती करने की अनुमति दी है.

(iii) *ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत क्षेग्रा बैंकों को शामिल न किया जाना*

नाबार्ड ने अपर सीपीएफसी (अनुपालन, विधिक और वसूली), ईपीएफओ, नई दिल्ली के साथ संपर्क कर उनसे कहा है कि वे क्षेग्रा बैंक के अनुरूप शेष राशि की वापसी के लिए आंचलिक आरपीएफसी को उपयुक्त रूप से सचित करे और ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 16 के तहत क्षेग्रा बैंकों को शामिल न किए जाने के मामले में औपचारिक पत्र, यदि कोई हो, जारी करें.

नाबार्ड क्षेग्रा बैंकों के मानव संसाधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों से संबंधित कार्य करता है और क्षेग्रा बैंकों में भर्ती, पदोन्नति और नियुक्ति, श्रम-शक्ति आयोजना, क्षेग्रा बैंकों के नॉन-कोर कार्यों की आउटसोर्सिंग, बर्खास्तगी/अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति में कर्मचारियों/ बैंक के अंशदान का भविष्य निधि में भुगतान करना/ उसे जारी करना, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ, अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को लाभ जारी करने पर स्पष्टीकरण सैबेटिकल छुट्टी आदि के संबंध में भारत सरकार को अपनी राय भेजता है.

10. संयुक्त परामर्श समिति (जेसीसी)

भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2009 में नाबार्ड ने क्षेग्रा बैंकों के लिए एक संयुक्त परामर्श समिति (जेसीसी) गठित की जिसमें नाबार्ड, प्रायोजक बैंक, क्षेग्रा बैंकों के अध्यक्ष और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं. यह समिति क्षेग्रा बैंकों की राष्ट्र स्तरीय यूनियनों/संगठनों के साथ विचार-विमर्श करेगी. जेसीसी वह परामर्श मंच है जहां कार्य और सेवा की शर्तों, कर्मचारी कल्याण, क्षमता और कार्यों के मानकों में सुधार से संबंधित सभी मामलों के साथ-साथ भर्ती, पदोन्नति और अनुशासन के सामान्य सिद्धांतों पर विचार-विमर्श किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए संयुक्त परामर्श समिति की XI वीं बैठक 30 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी.

11. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम और क्षेग्रा बैंक

नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए एसएचजी-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम में क्षेग्रा बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. 31 मार्च 2021 को क्षेग्रा बैंकों द्वारा 35.97 लाख समूहों को बचत सहबद्ध किया गया और उनकी कुल बचत की राशि ₹9511.68 करोड़ थी जिसकी तुलना में 31 मार्च 2020 को क्षेग्रा बैंकों द्वारा 32.61 लाख समूहों को बचत सहबद्ध किया गया और उनकी कुल बचत की राशि ₹7,811.27 करोड़ थी. इसके अलावा, 2020-21के दौरान क्षेग्रा बैंकों

द्वारा 11.85 लाख समूहों को ऋण सहबद्ध किया गया था जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान 10.93 लाख समूह ऋण सहबद्ध किए गए थे.

ऋण के प्रतिशत के रूप में एसएचजी का एनपीए 31 मार्च 2021 को 3.99% था जबकि 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 को यह एनपीए क्रमशः 4.37% और 4.87% था.

31.03.2021 को नाबार्ड ई-शक्ति परियोजना के अंतर्गत डिजिटाइज़ किए गए कुल 12,33,089 स्वयं सहायता समूहों के समक्ष 3,21,549 (26.07%) समूहों के बचत खाते क्षेग्रा बैंकों में खोले गए हैं और 1,71,327 समूहों को क्षेग्रा बैंकों द्वारा ऋण से जोड़ा गया है.

12. संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) का वित्तपोषण

वर्ष 2020-21 के दौरान सभी एजेंसियों द्वारा 41.26 लाख जेएलजी वित्तपोषित किए गए. इनमें से, क्षेग्रा बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹839.29 करोड़ की राशि से 50,940 जेएलजी वित्तपोषित किए जो वर्ष के दौरान सभी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित कुल जेएलजी का 1.23% है.

13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रौद्योगिकी की स्थिति

31 मार्च, 2021 की स्थिति में परिचालनरत कुल 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति तालिका XXI में दी गई है:

तालिका XXI: 31 मार्च 2021 को क्षेग्रा बैंक में प्रौद्योगिकी की स्थिति

क्रम सं.	विवरण	बैंकों की संख्या
1.	सीबीएस पर काम करने वाले बैंक	43
2.	आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा वाले बैंकों की संख्या	43
3.	रुपे डेबिट और रुपे केसीसी - दोनों प्रौद्योगिकी के कार्ड की सुविधा से युक्त बैंक	43
4.	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से युक्त बैंक	43
5.	मोबाइल बैंकिंग का लाइसेंस प्राप्त बैंक	28
6	इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक	19

14. प्रौद्योगिकी उन्नयन

क्षेग्रा बैंक वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें अपनी वित्तीय समावेशन योजना तैयार करनी होती है जिसे उनकी व्यावसायिक योजना में शामिल किया जाना होता है. वे प्रौद्योगिकी के संवर्धित उपयोग के साथ सभी के लिए वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपना रहे हैं. क्षेग्रा बैंकों में प्रौद्योगिकी उन्नयन की स्थिति संक्षेप में नीचे दी गई है:

14.1 सीबीएस के बाद: सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद और सेवाएँ

- आईएमपीएस: 28 क्षेग्रा बैंकों के पास मोबाइल बैंकिंग लाइसेंस है जो मोबाइल फोन के माध्यम से यह तकनीक उपलब्ध कराने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है. इस सुविधा के दायरे में अन्य क्षेग्रा बैंकों के प्रवेश में सबसे बड़ी रुकावट है भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय मानदंड जिसके तहत मोबाइल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है.
- ई-कॉम प्रमाणन: 38 क्षेग्रा बैंकों ने ई-कॉम प्रमाणीकरण किया है जो क्षेग्रा बैंक द्वारा जारी किए गए कार्ड से ऑनलाइन लेन-देन करने के लिए आवश्यक है.

14.2 इंटरनेट बैंकिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.क्षेग्रा बैंक.बीसी.सं. 59/ 31.01.001/ 2015-16,दिनांक 19 नवंबर 2015 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है. भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लेन-देन की सुविधा सहित इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं. ये मानदंड हैं - सीआरएआर > 10%, ₹100 करोड़ की निवल मालियत, सकल अनर्जक आस्तियाँ<7%, निवल अनर्जक आस्तियाँ अधिकतम 3% आदि.10 क्षेग्रा बैंक लेन-देन सुविधा के साथ-साथ इंटरनेट बैंकिंग सेवाएँ भी दे रहे हैं.

14.3 मोबाइल बैंकिंग

क्षेग्रा बैंकों के लिए मोबाइल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

क) लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए
ख) सीबीएस स्थापित होना चाहिए
ग) सीआरएआर न्यूनतम 9% होना चाहिए
घ) निवल अनर्जक आस्तियाँ 5% से कम होनी चाहिए
च) पिछले तीन वर्षों में लगातार शुद्ध लाभ अर्जित होना चाहिए
छ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर में कोई चूक नहीं होनी चाहिए
ज) केवाईसी /एएमएल का अनुपालन होना चाहिए
झ) सुदृढ़ आंतरिक जांच और नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए
ट) बोर्ड में दो पेशेवर निदेशक होने चाहिए
ठ) निरीक्षण रिपोर्ट में कोई गंभीर अनियमितता नहीं होनी चाहिए.

43 में से कुल 28 क्षेग्रा बैंक अपने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. तथापि, अन्य सभी क्षेग्रा बैंक निर्धारित विनियामक आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक से मोबाइल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सके.

14.4 भीम आधार पे:

'भीम आधार पे' आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) प्लेटफॉर्म पर काम करता है और मोबाइल ऐप के जरिए मर्चेंट सेवाएं प्रदान करता है. जिन बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से मर्चेंट एक्वायरर बिजनेस की अनुमति ली है, वे इस प्लेटफॉर्म पर मर्चेंट सेवाएं प्रदान कर सकते हैं. 31 मार्च 2021 तक, 33 क्षेग्रा बैंक एक इश्यूअर के रूप में भीम आधार पे में शामिल हो चुके हैं.

14.5 पॉस उपकरण

पीओएस उपकरण बैंक के मर्चेंट व्यवसाय को संभव बनाते हैं. इस व्यवस्था में व्यावसायियों को कवर करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नाबार्ड टियर III से VI केंद्र में पॉस/एम-पॉस उपरकण लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है. बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से मर्चेंट एक्वायरर की अनुमति प्राप्त करने और पॉस मशीनों के साथ व्यावसायियों को जोड़ने के लिए एनपीसीआई के साथ पॉस इश्युअर प्रमाणन प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्यकता है. 31 मार्च 2021 तक, 34 क्षेग्रा बैंकों ने पॉस प्रमाणन प्रक्रिया पूरी कर ली है.

14.6 भीम यूपीआई

भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) ऐप डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है ताकि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग कर सरल, आसान और त्वरित भुगतान किए जा सकें. इस जेनेरिक ऐप ने अलग-अलग बैंकों द्वारा मोबाइल बैंकिंग ऐप विकसित करने, होस्टिंग करने और उनका रख-रखाव करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है. क्षेग्रा बैंकों को भीमऐप के माध्यम से बैंकिंग लेन-देन की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए, "क्षेग्रा बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों की भीम यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म पर ऑन-बोर्डिंग" की योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत क्षेग्रा बैंकों को कुल व्यय की 80% राशि या प्रति बैंक ₹5.00 लाख (इनमें से जो भी कम हो), तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. 31 मार्च 2021 तक 27 क्षेग्रा बैंक भीम यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म पर ऑन-बोर्ड हो चुके हैं.

14.7 यूआईडीएआई की ऑथेन्टिकेशन यूज़र एजेंसी (एयूए)/ ए-केवाईसी यूज़र एजेंसी (केयूए) सदस्यता

यदि बैंकों के खाताधारक सीधे खातों में सरकारी लाभ/ सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपने खातों को आधार संख्या से जोड़ना होगा. डीबीटी उद्देश्यों के लिए खोले गए खातों को प्रमाणित करने के साथ-साथ अपने खाताधारकों को बायोमेट्रिक्स के माध्यम से लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंकों के पास भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की एयूए/ उप-एयूए सुविधाओं की एक्सेस होनी आवश्यक है. क्षेग्रा बैंक अपने ग्राहकों को आधार प्रमाणीकरण सेवाएँ प्रदान कर सकें इसके लिए उनका एयूए/ सब-एयूए होना आवश्यक है. यदि आवश्यक हो, तो ई-केवाईसी सेवाएं ऑफ़लाइन ई-केवाईसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती हैं. क्षेग्रा बैंकों को एयूए/ सब एयूए बनने के लिए नाबार्ड एक बारगी सहायता प्रदान कर रहा है. 31 मार्च 2021 तक, 42 क्षेग्रा बैंक एयूए/ सब-एयूए के सदस्य बन गए हैं.

14.8 आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस)

भविष्य में एईपीएस- प्रमाणित एप्लिकेशन वाले माइक्रो एटीएम और पॉस डिवाइस (भीम आधार पे सहित) से ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ताओं को उनके द्वार पर इंटर ऑपरेबल बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी. एयूए/सब-एयूए के सदस्य बनने के बाद, क्षेग्रा बैंक इस प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड होकर अपने ग्राहकों, जो अक्सर निरक्षर/कम साक्षर होते हैं, को आसान बायोमेट्रिक प्रणाली पर आधारित सुरक्षित लेन-देन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं. इस सुविधा के लिए क्षेग्रा बैंकों को वित्तीय समावेशन निधि से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है ताकि ग्रामीण जनता को आधार आधारित लेन-देन की सुविधा प्राप्त हो सके. 31 मार्च 2021 तक 38 क्षेग्रा बैंक एईपीएस प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं. इसके अलावा, बीसी पॉइंट पर स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेग्रा बैंकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे माइक्रो एटीएम पर डूअल ओथेन्टिकेशन फंक्शनेलिटीज़ को सक्रिय करें.

15. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएमएमवाई का शुभारंभ 08 अप्रैल 2015 को किया गया था. इस योजना के तहत विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा गतिविधियों में संलग्न सूक्ष्म/ लघु व्यावसायिक इकाइयों को ऋण वितरण का कारोबार करने वाले बैंकों, एनबीएफ़सी, एमएफ़आई जैसे अंतिम वित्तीय मध्यस्थों को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है. वर्ष 2020- 21-21 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आबंटित ₹21,723 करोड़ के समक्ष वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्धि ₹19,654 करोड़ (%90.48)रही .यह राशि पीएमएमवाई के अंतर्गत शिशु (7.19 लाख खाते, ₹2,059 करोड़), किशोर (8.40 लाख खाते, ₹14,080 करोड़) और तरुण (43,612 खाते, ₹3,515 करोड़) श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान की गई. ***स्रोत :मुद्रा***

16. स्टैंड-अप इंडिया

भारत सरकार ने 05 अप्रैल 2016 को 'स्टैंड अप इंडिया योजना' की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य एक ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति(अजा)या अनुसूचित जनजाति (अजजा) उधारकर्ता को और कम से कम एक महिला को रुपए 10 लाख से रुपए 1 करोड़ तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है. गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरहोल्डिंग और नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति(अजा) या अनुसूचित जनजाति (अजजा) अथवा महिला उद्यमी की होनी चाहिए. योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण के लिए ऋण गारंटी हेतु एक समूह निधि और सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त भी उपलब्ध है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी स्टैंड अप इंडिया योजना में भाग ले रहे हैं. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेग्रा बैंकों का निष्पादन तालिका XXII में दिया गया है.

(राशि ₹ करोड़ में)

तालिका XXII: कुल उपलब्धि (अजा/अजजा और महिलाएं)				
श्रेणी	**लक्ष्य (खातों की संख्या)**	**उपलब्धि**	**मंजूर राशि**	**संवितरित राशि**
अजा	8,696	34	5.85	1.05
अजजा		5	0.89	0.31
महिलाएं	8,696	161	31.46	10.98
कुल	**17,392**	**200**	**38.2**	**12.34**

स्रोत : स्टैंडअप इंडिया पोर्टल

******

अनुबंध I : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक –प्रमुख निष्पादन संकेत कों की तुलनात्मक स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
क्षेग्रा बैंकों की संख्या (सं.)	53	45	43
शाखा नेटवर्क (सं.)	21,871	21,847	21,856
शेयर पूंजी	6,735	7,849	8,393
टियर II बॉण्ड	192	192	192
प्रारक्षित निधियाँ	25,398	26,814	30,348
जमाराशियाँ	4,34,444	4,78,737	5,25,226
उधार	53,548	54,393	67,864
निवेश	2,26,172	2,50,859	2,75,658
बकाया सकल ऋण और अग्रिम	2,80,755	2,98,214	3,34,171
लाभ अर्जित करने वाले क्षेग्रा बैंकों की संख्या	**39**	**26**	**30**
लाभ की राशि (अ)	1,759	2,203	3,550
हानि वाले क्षेग्रा बैंकों की संख्या	**14**	**19**	**13**
हानियों की राशि (आ)	2,411	4,411	1,867
क्षेग्रा बैंकों का निवल लाभ (अ – आ)	-652	-2,208	1,682
संचित हानियों वाले क्षेग्रा बैंकों की संख्या	**11**	**17**	**17**
संचित हानियाँ	2,887	6,467	8,264
बकाया ऋणों की तुलना में अनर्जक आस्तियां (%)	10.8	10.4	9.4
>7% जीएनपीए वाले क्षेग्रा बैंकों की संख्या	**33**	**27**	**25**
>10%जीएनपीए वाले क्षेग्रा बैंकों की संख्या	**25**	**18**	**15**
निवल स्वाधिकृत निधियाँ	29,246	28,196	30,477
<9% सीआरएआर वाले क्षेग्रा बैंकों की संख्या	**13**	**17**	**16**

अनुबंध II: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : समेकित तुलन पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मानदंड	मार्च के अंत में		वर्ष वार वृद्धि (%)	
		2020	**2021**	**2019-20**	**2020-21**
1	शेयर पूंजी	7,849	8,393	16.5	6.9
2	प्रारक्षित निधियां	26,814	30,348	5.6	13.2
3	जमाराशियां	4,78,737	5,25,226	10.2	9.7
3.1	चालू	10,750	11,499	-3.4	7.0
3.2	बचत	2,44,414	2,71,516	9.1	11.1
3.3	मीयादी	2,23,573	2,42,211	12.2	8.3
4	उधार	54,393	67,864	1.6	24.8
4.1	नाबार्ड से	46,120	61,588	-1.6	33.5
4.2	प्रयोजक बैंक से	4,519	3,444	20.6	-23.8
4.3	अन्य	3,754	2,832	28.7	-24.6
5	अन्य देयताएं	20,227	19,754	13.2	-2.3
अन्य देयताएं / आस्तियां		**5,88,021**	**6,51,585**	**9.3**	**10.8**
6	हस्ते रोकड़	2,860	2,954	-1.8	3.3
7	भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	16,744	18,947	-6.4	13.2
8	चालू खाते में शेष	7,613	5,987	39.2	-21.4
9	निवेश	2,50,859	2,75,658	10.9	9.9
10	ऋण और अग्रिम (निवल)	2,80,220	3,15,181	7.0	12.5
11	अचल आस्तियां	1,235	1,229	-3.0	-0.5
12	अन्य आस्तियां	28,490	31,629	27.7	11.0
12.1	संचित हानियां	6,467	8,264	124.0	27.8

अनुबंध III: क्षेग्रा बैंक: समेकित आय और व्यय विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मद	राशि	
		2019-20	**2020-21**
1	**2**	**3**	**4**
अ	**आय (i + ii)**	**49,452**	**53,858**
i	ब्याज आय	43,698	46,803
ii	अन्य आय	5,754	7,055
आ	**व्यय (i+ii+iii)**	**51,660**	**52,176**
i	ब्याज व्यय	25,985	25,588
ii	वेतन बिल	14,654	15,101
iii	अन्य परिचालन व्यय	5,422	4,668
iv	प्रावधान और आकस्मिकताएं	5,599	6,819
इ	**लाभ**		
i	परिचालनगत लाभ	2,972	8,304
ii	निवल लाभ	-2,208	1,682
ई	**औसत कार्यशील निधियाँ**	**5,55,660**	**6,17,305**
उ	**वित्तीय अनुपात ***		
I	परिचालनगत लाभ (%)	0.53	1.35
Ii	निवल लाभ (%)	-0.40	0.27
iii	आय (क + ख) (%)	8.90	8.72
(क)	ब्याज आय (%)	7.86	7.58
(ख)	अन्य आय (%)	1.04	1.14
iv	व्यय (क+ख+ग+घ) (%)	9.30	8.45
(क)	ब्याज व्यय (%)	4.68	4.15
(ख)	वेतन बिल (%)	2.37	2.45
(ग)	अन्य परिचालनगत व्यय (%)	0.99	0.76
(घ)	प्रावधान और आकस्मिकताएं (%)	1.27	1.10

* सभी अनुपात औसत कार्यशील पूंजी / निधि का प्रतिशत हैं, जहां औसत को माह के अंत के आंकड़ों पर निकाला गया है.